

न्यायालय उप जिला कलेक्टर

फर्द अहकाम

दिनांक

28³/₂₄ पत्रावली पेश हुई

उपरिष्ठत, पत्रावली पूर्व अनुसार

वास्ते.....

.....

दिनांक..... को पेश हो

2-5-24

25⁵/₂₄

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय अफिसरों की
 उपस्थिति में वार-वार सचिव व
 सचिवान वकील को बोला जा चुका है।
 दिनांक के बरत पूर्व सचिव व सचिवान वकील
 उपस्थित नहीं। दिनांक पाठि पर सचिव व
 सचिवान वकील उपस्थित नहीं। दिनांक में सचिव
 उपस्थित नहीं। अतः सु. नं. 748/2020 ज. न्या.
 किशोर उर्फ राम किशोर बनाम बुलबुली
 बनाम सचिव व सचिवान पेशी में आदेश
 न्यायालय में सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
 हिण्डौन सिटी (कौली)

